झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–22 / 2020

परमेश्वर महतो .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री महेश तिवारी, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री दीपक कुमार, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 श्री महेश तिवारी, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री दीपक कुमार, विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को खूंटी (एएचटीयू) थाना काण्ड सं0–05 / 2019 तद्नुसार जी0आर0 वाद सं0–275 / 2019 (एस0टी0 सं0–202 / 2019) के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि मुखबिर की बेटी और दो अन्य लड़कियों को आरोपी व्यक्तियों ने मोहित कर दिल्ली ले गए।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पीड़ित के फर्दब्यान और धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज ब्यान में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है

जैसे फर्दब्यान में एक मंजू कुमारी उर्फ फाल्गुनी कुमारी के विरूद्ध विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि वह लड़कियों को दिल्ली ले गई। आगे यह कहा गया है कि धारा 164 दं0प्र0सं0 के ब्यान में मानव व्यापार का कोई आरोप याचिकाकर्त्ता के विरूद्ध नहीं लगाया गया है।

यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 21.07.2019 से अभिरक्षा में है और यह प्रतीत होता है कि पीड़ित जो वापस आई है, उसके फर्दब्यान और ब्यान में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (केवल दस हजार) के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खूंटी के संतुष्टि पर, खूंटी (एएचटीयू) थाना काण्ड संख्या–5/2019 तद्नुसार जी0आर0 वाद संख्या–275/2019 (एस0टी0 संख्या–202/2019) में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)